

पतियों और पत्नियों के अधिकार और जम्मेदारियां

रेटगि:

वविरण: ????? ? ? ?????? ??????? ? ? ??????? ? ? ???? ? ? ??-???? ? ? ?-???? ? ? ????? ????????? ? ? ??????

श्रेणी: [पाठ](#) , [सामाजिक बातचीत](#) , [वविह](#)

द्वारा: Imam Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

प्रकाशति हुआ: 08 Nov 2022

अंतमि बार संशोधति: 07 Nov 2022

उददेश्य:

- पतियों के अधिकारों को जानना।
- पत्नियों के अधिकारों को जानना।
- पति और पत्नी के बीच यौन आचरण की मूल बातें जानना।

अरबी शब्द:

- ??? - दहेज, दुल्हन का उपहार, एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाने वाला।
- ????? - इस्लामी चंद्र कैलेंडर का नौवां महीना। यह वह महीना है जिसमें अनविार्य उपवास नरिधारति कथिा गया है।

इस्लाम स्पष्ट रूप से एक पति को अपनी पत्नी पर और एक पत्नी को अपने पति के ऊपर अधिकारों और जम्मेदारियों को नरिधारति करता है। पति-पत्नी का एक-दूसरे पर अधिकार है, यह वचिर सरिफ इस्लाम ने लाया है। जो चीज इसे और अधिक आश्चर्यजनक बनाती है वह यह है कि उन्हें कतिनी स्पष्ट रूप से नरिधारति कथिा गया है, ताकि संघर्ष कम से कम हो। वविह सलाहकार इसे "अपेक्षाएं" कहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए। इसलिए उन्हें तय करने के लिए पति-पत्नी पर छोड़ दिया जाता है। कई बार, वे तय नहीं कर पाते या सहमत नहीं हो सकते हैं, इसलिए वविह समाप्त की ओर जाता है।



पतयियों और पतनयियों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिकार और जमिमेदारियां इस प्रकार हैं। इन्हें पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें:

1. अल्लाह इन अधिकारों और जमिमेदारियों का स्रोत है।

2. जसि तरह पतकि अपनी पतनी पर अधिकार होता है, वैसे ही पतनी का अपने पतपिर अधिकार होता है। उन दोनों को एक-दूसरे के अधिकारों को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और एक-दूसरे को जतिना संभव हो सके माफ करना चाहिए।

3. इन अधिकारों और जमिमेदारियों के संबंध में पत और पतनी दोनों को उदार होना चाहिए। उन्हें क्रोध और झगड़े के समय एक दूसरे के अधिकारों को याद नहीं दलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका क्रोध बढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में, अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

4. कई नए मुसलमान ऐसी वेबसाइटें पढ़ते हैं जो इस्लामी कानूनी फैसलों में माहरि हैं और ऐसी कतिबें पढ़ते हैं जसिमे बेहतर जीवन जीने का मार्गदर्शन है। ये संसाधन आम तौर पर कानून बताते हैं, कानून की "आत्मा" नहीं। कानून की "आत्मा" अल्लाह की अवज्ञा कएि बनिा शांति और सद्भाव से रहना है। हमेशा याद रखें कि प्र्यार, नम्रता और दया एक सुखी, इस्लामी वविाह के लिए आवश्यक हैं।

पतनी का पतकिे ऊपर अधिकार

इस्लाम एक पतनी को उसके मुस्लमि पतपिर अधिकार देता है। इनमे से कुछ वतितीय हैं, अन्य नहीं हैं।

1. महर

महलिा को अपने पतसिे महर या दुल्हन का उपहार प्राप्त करने का वतितीय अधिकार है।

2. अच्छा व्यवहार

पतनी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर कुरआन बहुत जोर देता है। **"...और उनके साथ दया से रहो..." (कुरआन 4:19)**। कुरआन के अलावा, अल्लाह के पैगंबर ने भी जोर दिया है, 'आप में सबसे उत्कृष्ट वह है जो अपनी पतनी के साथ अच्छे से रहता है।' (तरि्मज़िी)

मुस्लमि पतकिो अपने प्रयि पैगंबर की यह सलाह याद रखनी चाहिए, "महलिाओं के संबंध में अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हे एक **भरोसे** के रूप में उन्हें दिया था और वे अल्लाह के वचन से तुम्हारे लिए वैध हो गए हैं" (मुस्लमि)। पतनी एक वशि्वास है, न गुलाम और न ही जानवर, तो उसके साथ इसके अनुसार ही व्यवहार करो।

3. वित्तीय रखरखाव

पत्नी को पतकी आमदनी के अनुसार भोजन, वस्त्र और आवास सहित वित्तीय भरण-पोषण का अधिकार है। काम करना और पत्नी को सहारा देना पतकी जम्मेदारी है।

4. सुरक्षा

पतको अपनी पत्नी की शारीरिक और भावनात्मक इच्छाओं की सुरक्षा करनी चाहिए।

पतकी पत्नी के ऊपर अधिकार

1. आज्ञाकारिता

इस्लाम में, एक पत्नी को अपने पतकी उन सभी बातों को मानने की आवश्यकता है जिससे अल्लाह की आज्ञा न हो। यह अवधारणा कई पश्चिमी लोगों के लिए पूरी तरह से अलग है, इसलिए कृपया इसे अच्छी तरह समझें। पश्चिम में, वे इसे 'नियंत्रण' और कभी-कभी 'भावनात्मक शोषण' कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

पहला, एक पत्नी को चाहिए कि वह अल्लाह की आज्ञाकारिता में अपने पतकी आज्ञा का पालन करे। पैगंबर ने कहा, 'यदि कोई महिला अपनी पांच दैनिक प्रार्थनाएं करती है, रमजान के महीने में उपवास करती है, अपनी शुद्धता की रक्षा करती है और अपने पतकी आज्ञा का पालन करती है, तो उसे न्याय के दिन कहा जाएगा, 'स्वर्ग के किसी भी द्वार से प्रवेश करो।' (???? ??????)

दूसरा, पत्नी को अपने पतकी आज्ञा का पालन करना उस दास के समान नहीं है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है! वह औरत आजाद है, गुलाम नहीं। इसका मतलब यह है कि उसका पति अपनी पत्नी पर अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता और अत्याचार नहीं कर सकता। उसे याद रखना चाहिए कि वह अल्लाह का दास है और उससे पूछा जायेगा कि वह अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता था।

तीसरा, पतको अपनी पत्नी के साथ आपसी परामर्श से अपने पारिवारिक मामलों से निपटना चाहिए, लेकिन नरिणय लेने वाला वही है और वह अपने फैसले के लिए अल्लाह के सामने जम्मेदार होगा। एक पत्नी को उसके नरिणय लेने के अधिकार पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि जैसे हर कंपनी का एक सीईओ होता है, वैसे ही "परिवार" एक कंपनी की तरह है और पति उसका सीईओ है। याद रखें, पतको अपने अधिकार को अच्छे व्यवहार के साथ संतुलित करना चाहिए जो कि उसकी पत्नी का उसके ऊपर अधिकार है।

2. पतकिे मान-सम्मान की रक्षा करना

पत्नी को अपने घर की अन्य बातों के अलावा, अपने धन और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। पैगंबर मुहम्मद ने कहा, "पत्नी अपने पत और उसके बच्चों के घर की संरक्षक है" (सहीह अल-बुखारी, सहीह मुस्लमि)। उसे अपने बच्चों को इस्लामी मूल्यों के आधार पर पालना चाहिए।

3. पतकी अनुमतके बनिा घर से बाहर नही जाना चाहिए

पैगंबर ने कहा, "यदि आप में से किसी की पत्नी मस्जिद में जाने की अनुमतिलेती है, तो उसे मना न करें" (मुस्लमि)। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार घर से निकलने से पहले पतकी अनुमतिलेनी होगी, यह पूछकर, "क्या मैं जा सकती हूं?" इसका मतलब यह है कि उसे ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जसिे उसका पतपिसंद नहीं करता हो। यह संघर्ष को कम करेगा और परिवार में खुशियां बनाए रखेगा। इसका एक अपवाद मस्जिद है। वह अपने पतकी अनुमत और मंजूरी के बनिा मस्जिद जा सकती है।

4. पतकी अनुमतके बनिा किसी को अपने घर में न आने देना

पैगंबर ने कहा, "और तुम्हारा उन पर अधिकार यह है कि जसिे तुम पसंद नहीं करते हो उसे तुम्हारे घर में बैठने की अनुमतनि दे।"^[1] इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे को घर में न आने दें जसिे आपका पतनापसंद करता है, ऐसा करने से संघर्ष कम होगा और सद्भाव बना रहेगा।

5. अपने बेडरूम के रहस्य छुपाना

पतिया पत्नी किसी को भी अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने यौन जीवन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसे अनुचित, अशोभनीय और शर्मनाक माना जाता है। दोनों को इस संबंध में एक-दूसरे की नजिता का सम्मान करना चाहिए।

संभोग एक ऐसा अधिकार है जो दोनों का एक दूसरे पर है। प्रत्येक पतिया पत्नी को संभोग का अधिकार है। महिला के मासिक धर्म चक्र और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के दौरान योनिसंभोग नषिदिध है। गुदा मैथुन हर समय सख्त वर्जति है।

फुटनोट:

[1] सहीह मुस्लमि

इस लेख का वेब पता

<https://www.newmuslims.com/hi/articles/159>

कॉपीराइट © 2011 - 2024 NewMuslims.com. सर्वाधिकार सुरक्षित।